



Neutral Citation No - 2026:AHC:28480-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2025 की 29272

गिरीश कुमारयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम मोहन, उपेन्द्र मणि त्रिपाठी
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह कथन किया कि वे इस रिट याचिका को अनागृहीत रखना चाहते हैं तथा इसे प्रत्याहृत करने की प्रार्थना करते हैं।
3. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

टी.के.जी.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"